भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2377

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 जुलाई, 2019/17, आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

सीएसआर मानदंडों में संशोधन

2377. श्री रामदास तडसः
श्री सी.पी. जोशीः
श्री कनकमल कटाराः
श्री फिरोज़ वरुण गांधीः
श्री एच. वसंतकुमारः
श्री दिव्येन्दु अधिकारीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के कारपोरेट बोर्ड में महिला निदेशकों को शामिल करने/उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन किया है/संशोधन करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों में महिला प्रबंधकों की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) देश में कारपोरेट प्रबंधन को और अधिक सरल, उत्तरदायी, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने हेतु मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के अतिरिक्त सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं;
(घ) क्या सरकार को दो प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) संबंधी मानदंड की समीक्षा करने हेतु सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) रोजगार-अवसरों तथा खनन परियोजना एवं पर्यावरण सुरक्षा एवं संवहनीय विकास से प्रभावित स्थानीय समुदाय एवं लोगों की आय में वृद्धि करने हेतु सीएसआर के अंतर्गत कंपनियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक में व्यवस्था है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी अथवा 300 करोड़ रुपए अथवा अधिक के

कारोबार वाली प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करेगी। इस बारे में कोई और संशोधन विचाराधीन नहीं है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके अधिन बनाए गए नियमों के साथ पठित) में उल्लेखनीय परिवर्तन प्रख्यापित किए गए हैं और इसमें हितधारकों के लिए प्रकटीकरण, निदेशकों, लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की जवाबदेही एवं निवेशक संरक्षण जैसे कारपोरेट प्रशासन से संबंधित पर्याप्त उपबंध निहित हैं।

(घ): सरकार को 2 प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मापदंड में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च): अधिनियम की अनुसूची-VII में उन क्षेत्रों अथवा कार्यकलापों को सूचीबद्ध किया गया है जो सीएसआर व्यय के लिए पात्र हैं। अधिनियम की धारा 135(3) और (4) के अनुसार कंपनी बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी इसकी सीएसआर नीति में शामिल कार्यकलापों को संचालित करे। इसके अतिरिक्त, सरकार सरकारी योजनाओं सहित किसी क्षेत्र अथवा कार्यकलाप विशेष में व्यय करने के लिए कारपोरेट घरानों को कोई निदेश नहीं देती है।

एमसीए-21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग से प्राप्त आकंडों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनियों द्वारा व्यय की गई क्षेत्रवार कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियां अनुलग्नक पर प्रस्तुत हैं।

******

अनुलग्नक

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2377 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)			
विकास क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**
कृषि-वानिकी	57.64	43.45	7.5
पशु कल्याण	66.66	78.3	16.54
सशस्त्र सेनाएं, योद्धा, वीरांगनाए/आश्रित	11.14	37.08	16.24
कला और संस्कृति	119.08	304.43	212.43
निर्मल गंगा कोष	32.82	24.37	2.11
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	38.19	117.07	144.84
शिक्षा	4081.73	4459.68	2705.3
पर्यावरण संरक्षण	809.86	1072.34	837.49
लैंगिक समानता	73.24	72.69	11.04
स्वास्थ्य सेवाएं	2574.2	2468.75	1144.83
आजीविका संवृद्धि परियोजनाएं	400.82	514.17	473.11
एनईसी/उल्लिखित नहीं है	1065.23	388.96	0.00
केंद्र सरकार की अन्य निधियां	332.92	417.99	215.66
गरीबी, भूखमरी, कुपोषण का निवारण	1238.87	604.9	421.21
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	217.23	157.58	60.4
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1379.09	1548.95	1066.52
स्वच्छ पेयजल	173.84	145.9	107.86
स्वच्छता	620.6	420.64	99.64
वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	21.9	26.81	9.47
महिलाओं के लिए घर और छात्रावासों की स्थापना	29.11	62.25	54.93
अनाथाश्रम की स्थापना	17.99	16.27	30.42
स्लम क्षेत्र विकास	14.31	51.46	4.7
सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	75.64	145.83	74.56
विशेष शिक्षा	127.07	164.8	56.81
स्वच्छ भारत कोष	325.2	183.83	118.69
प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	26.77	23.09	5.2
खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	138.92	178.53	121.94
व्यावसायिक कौशल	332.93	372.64	251.54
महिला सशक्तिकरण	124.59	139.65	94.37
कुल योग	14527.59	14242.41	8365.35

(20.10.2018 तक कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर)

******